नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा	

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी स्वयं व प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 6 व 8 ता 10 स्वयं तथा प्रतिवादी सं. 3 ता 5, 7 जरिये अपने अभिभाषक के दिनांक 19.12.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा मय संलग्न नजरी नक्शा पेश किया जो तस्दीक वादी व प्रति.सं.1, 2, 6 व 8 ता 10 का) किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। साथ ही पूर्व में दिनांक 19.12.2017 को प्रस्तुत उक्त राजीनामा मय संलग्न नजरी नक्शा के संदर्भ में वादी अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र अ.आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उक्त राजीनामा दिनांकित 19.12.2017 में क्रमं. 1 पर प्रतिवादी सं. 8 सांवत का नाम सहवन से टंकित होने से रह गया जिसे लाला स्याही से अंकित करने का आदेश फरमाया जावे। चूंकि उक्त दिनांक को उक्त प्रति. सं. 8 सांवत उपस्थित था। अतः उक्त प्रार्थना–पत्र अ.आदेश 6 नियम 17 सीपीसी विधिसम्मत व राजीनामा में हस्ताक्षरित होने के आधार पर स्वीकार किया जाकर राजीनाम के क्रम सं. 1 पर सांवत का नाम लाल स्याही से अंकित किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 ता 10 कि ओर से प्रस्तुत जवाब दावा मय विशेष कथन में उक्त वादग्रस्त खसरान सं. 35, 257, 302 के अलावा खसरान सं. 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 वाके ग्राम रूल्याणा पट्टी तहसील लक्ष्मणगढ़ का भी उल्लेख किया है। चूंकि अब प्रस्तुत उभयपक्ष के राजीनामा में खसरान सं. 35, 257, 302 के अलावा खसरा नं. 294 वाके ग्राम रूल्याणा पट्टी तहसील लक्ष्मणगढ़ को भी शामिल किया है। अतः उक्तानुसार मुताबिक राजीनामा मय संलग्न नजरी नक्शा के आधार पर उभयपक्ष ने वाद डिक्री किये जाने का भी अनुरोध किया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। साथ ही प्रस्तुत राजीनामा मय संलग्न नजरी नक्शा, प्रस्तुत मूल दावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों व दस्तावेजात का भी अवलोकन किया, जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत राजीनामा मय संलग्न नजरी नक्शा, प्रतिवादी सं. 1 ता 10 कि ओर से प्रस्तुत जवाब दावा मय विशेष कथन में उल्लेखित खसरा सं. 294 को समाहित करते हुए व उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 1.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 257 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 302 रकबा 3.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके ग्राम रूल्याणा पट्टी तहसील लक्ष्मणगढ़ का उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार विधिवत रूप से बाउंड्रिस एण्ड बन्दोबस्त मौके पर विभाजन मय नीव सींव के किया जाकर वादी को इन जमीनों का दी जाकर इसी अनुसार उक्त को अलग–अलग खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तदनुसार अलग खाता अलग रकबा अलग लगान निर्धारित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन एवं अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। वर्तमान खाता निरस्त घोषित किया जाता है। उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। रहन यथावत रहेगा। अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official